

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 24 : Migration of persons registered under the existing law

- (1) (a) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the provisions of Income Tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enrol on the common portal by validating his e-mail address and mobile number, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (b) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in **FORM GST REG-25**, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

Provided that a taxable person who has been granted multiple registrations under the existing law on the basis of a single Permanent Account Number shall be granted only one provisional registration under the Act:

¹[***]

- (2) (a) Every person who has been granted a provisional registration under sub-rule (1) shall submit an application electronically in **FORM GST REG-26**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the information and documents specified in the said application, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (b) The information asked for in clause (a) shall be furnished within a period of three months or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.
- (c) If the information and the particulars furnished in the application are found, by the proper officer, to be correct and complete, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** shall be made available to the registered person electronically on the common portal.
- (3) Where the particulars or information specified in sub-rule (2) have either not been furnished or not found to be correct or complete, the proper officer shall, after serving a notice to show cause in **FORM GST REG-27** and after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, cancel the provisional registration granted under sub-rule (1) and issue an order in **FORM GST REG-28**:

Provided that the show cause notice issued in **FORM GST REG-27** can be withdrawn by issuing an order in **FORM GST REG-20**, if it is found, after affording the person an opportunity of being heard, that no such cause exists

¹ Second Proviso omitted by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017. Earlier to omission it read as under:

"**Provided** further that a person having centralised registration under the provisions of Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) shall be granted only one provisional registration in the State or Union territory in which he is registered under the existing law."

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

for which the notice was issued.

- ²[(3A) Where a certificate of registration has not been made available to the applicant on the common portal within a period of fifteen days from the date of the furnishing of information and particulars referred to in clause (c) of sub-rule (2) and no notice has been issued under sub- rule (3) within the said period, the registration shall be deemed to have been granted and the said certificate of registration, duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to the registered person on the common portal.]
- (4) Every person registered under any of the existing laws, who is not liable to be registered under the Act may, ³[on or before 31st March, 2018], at his option, submit an application electronically in **FORM GST REG-29** at the common portal for cancellation of the registration granted to him and the proper officer shall, after conducting such enquiry as deemed fit, cancel the said registration.
-

-
- 2 Sub-rule (3A) inserted by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.
- 3 Substituted for “^A[31st December, 2017]” by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018.
- A Substituted for “^B[31st October, 2017]” by Noti. No. 51/2017 dt. 28-10-2017.
- B Earlier substituted for “^C[30th September]” by Noti. No. 36/2017-Central Tax, dt. 29-09-2017.
- C Substituted for “within a period of thirty days from the appointed day” w.e.f. 22-07-2017 by Noti. No. 17/2017-Central Tax, dt. 27-07-2017.

नियम 24 : विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्जन

- (1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-मेल पते और मोबाईल संख्या के विधिमान्यकरण द्वारा सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे।
- (ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और प्ररूप जीएसटी आरईजी-25 में उसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा जो सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधेय व्यक्ति जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

¹[.....]

- (2) (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है इलैक्ट्रानिक रूप से, उक्त आवेदन में, आवेदन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रानिक सत्यापित कोड के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।
- (ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
- (ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां समुचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-27 में कारण बताओं की तामील करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-28 में एक आदेश जारी करेगा :

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरईजी-27 में जारी कारण बताओं सूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को

1 अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा द्वितीय परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"परन्तु यह और कि व्यक्ति जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय-5 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण रखते हैं, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां वह विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए सूचना जारी की गई थी।

- ²[(3क) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है और उक्त अवधि के भीतर उपनियम (3) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गयी है, वहां रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और सम्यक्त हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित रजिस्ट्रीकरण का उक्त प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।]
- (4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, ³[31 मार्च, 2018 को या उससे पहले], उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-29** में इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

-
- 2 अधिसूचना क्रमांक 7/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा उप-नियम (3क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।
- 3 अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा "A[31 दिसंबर, 2017]" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- A पहले अधिसूचना क्रमांक 51/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा "B[31 अक्टूबर, 2017]" प्रतिस्थापित हुआ था।
- B उसके पहले अधिसूचना क्रमांक 36/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा "C[30 सितंबर]" प्रतिस्थापित हुआ था।
- C अधिसूचना क्रमांक 17/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा "नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 22.07.2017)।